राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 22/2023

श्रीमती खुशबू **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, शिक्षा विभाग (माध्यमिक) राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)।
2. निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा, जोधपुर (राज.)।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), जिला जैसलमेर (राज.)।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जैसलमेर (राज.)।
6. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक Dechu जिला जोधपुर (राज.)।
7. पी.ई.ओ. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, Dechu, ब्लॉक Dechu, जिला जोधपुर (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 17.01.2023
आदेश की दिनांक : 23.01.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री भूपेन्द्र सिंह, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री यशवंत मेहता, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावडा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में स्कूल व्याख्याता हिंदी के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, डेचू, जिला जोधपुर में कार्यरत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वर्ष 2021 में व्याख्याता के पद पर हुई थी और उसने दिनांक 05.04.2021 को कार्यग्रहण किया। आदेश दिनांक 24.09.2022 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से Badali Charanan, जैसलमेर किया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी के पति श्री नरेन्द्र सिंह का दुर्घटना में निधन हो चुका है। अपीलार्थी के छोटे बच्चे हैं और वृद्ध माता–पिता हैं, जिनकी देखभाल के लिए परिवार में अपीलार्थी के अलावा अन्य कोई सदस्य नहीं है। अपीलार्थी को आलोच्य आदेश के द्वारा

दिनांक 24.09.2022 के द्वारा स्थानान्तरण कर दिया गया है, परंतु उसे कार्यमुक्त नहीं किया गया। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अधिकरण द्वारा अपील संख्या 601/2022 महावीर रेनीवाल में पारित आदेश दिनांक 17.10.2022 की और ध्यान आकर्षित किया जिसमें प्रार्थी को कार्यमुक्त किए जाने का आदेश पारित किया गया। अपीलार्थी का भी मामला उक्त प्रकरण के समान है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जावे और अपीलार्थी को नवीन पदस्थापन स्थान के लिए कार्यमुक्त किया जावे तथा आलोच्य आदेश में शर्त संख्या 2 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया जावे।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्वीकृत रूप से प्रकट है कि अपीलार्थी राजस्थान शिक्षा सेवा व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) के पद पर दिनांक 05.04.2021 से परिवीक्षाधीन (probationer) है। राजस्थान सेवा नियमों के नियम, 7(30) में परिवीक्षाधीन को निम्नांनुसार परिभाषित किया गया हैः–

> 'परिवीक्षाधीन : परिवीक्षाधीन से तात्पर्य उस कर्मचारी से है जो किसी सेवा अथवा संवर्ग (केडर) में स्थायी रूप से एक रिक्त पद पर नियमित रूप से नियुक्त किया गया है।''

परिवीक्षाधीन की उपर्युक्त परिभाषा से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी सभी प्रयोजनार्थ राजस्थान शिक्षा सेवा व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) की सदस्य है। परिवीक्षाधीन अवधि में एक प्रोबेशनर अन्य कार्मिक की भांति कार्य सम्पादित करता है और उसका स्थानान्तरण भी सेवा के अन्य सदस्यों की भांति किया जा सकता है। प्रोबेशनर की कोई पृथक सेवा नहीं होती है, ऐसी स्थिति में प्रोबेशनर से अलग प्रकार का व्यवहार करना या भेद करना युक्तियुक्त एवं नियमानुकूल नहीं है। जिस स्थान पर अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया था, वहां उसका पद रिक्त है तो फिर उसको उक्त अयुक्तियुक्त व अनुचित शर्त के कारण उसके सम्बन्ध में आलोच्य आदेश प्रभावी होने से उसको कार्यमुक्त नहीं किए जाने की जो शर्त प्रत्यर्थी विभाग द्वारा लगाई गई है उसे उचित नहीं कहा जा सकता। जब स्थानान्तरण आदेश प्रभावी होने के कारण कार्यमुक्त ही नहीं करना था तो फिर परिवीक्षाधीन अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश पारित किए जाने का भी कोई औचित्य नहीं था। उक्त आधार पर अपील अपीलार्थी मंजूर किए जाने योग्य है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा दायर की गई अपील मंजूर की जाती है तथा स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.09.2022 की शर्त संख्या 2 अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त की जाती है और प्रत्यर्थी विभाग को आदेश दिए जाते हैं कि अपीलार्थी से आदेश दिनांक 24.09.2022 की अनुपालना में नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए अविलम्ब कार्यमुक्त करें।

उपरोक्त अपील ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही मय स्थगन प्रार्थना पत्र के अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य